Date:
Page:

शासन [Ruling] और प्रशासन [Administration]

•– शासन और प्रशासन में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं।

शासन	प्रशासन
शासन निर्वाचित होता है	•– प्रशासन नियुक्त होता है।
शासन को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है।	•– प्रशासन को स्थायी कार्यकाल दिया जाता है।
शासन नीति निर्माण करता है	•– प्रशासन उन नीतियों को कार्यान्वित करता है।
शासन वरिष्ठ होता है	•– प्रशासन कनिष्ठ होता है।
विधायिका और मंत्रिगण शासन के अंग हैं।	•– अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं।

शक्ति पृथक्करण •– फ्रेंच दार्शनिक मान्टेस्क्यू ने तानाशाही को समाप्त करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त दिया।
इसके तहत शासन की शक्तियों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है।
(i) विधायिका (ii) कार्यपालिका (iii) न्यायपालिका

•– विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है
कार्यपालिका इस कानून का कार्यान्वयन करती है।
न्यायपालिका दोषियों को दण्डित करती है।

कार्यपालिका के दो अंग है •– राजनीतिक कार्यपालिका
•– प्रशासनिक कार्यपालिका।

KD Job Updates

विश्व की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली :-

राजशाही / राजतंत्र [Monarchy] :-

यह प्राचीन शासन प्रणाली है।
सऊदी अरब, ब्रुनेई और UAE में अभी भी राजतंत्र है।
यूरोपीय देशों ने औपचारिक रूप से राजतंत्र को बनाये रखा है। परन्तु इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया है।
इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में है -

- ब्रिटेन
- पुर्तगाल
- स्पेन
- डेनमार्क
- स्वीडन

लोकतंत्र [Democracy] :-

अब्राहम लिंकन के अनुसार -
"Democracy is a government of the people for the people by the people."

विश्व के अधिकांशतः देश लोकतंत्र ही है।
आईसलैंड की संसद एलथिन्गी विश्व की प्राचीनतम संसद है।
ब्रिटेन की संसद को 'लोकतंत्र की जननी' कहा जाता है।
स्विट्जरलैंड को 'लोकतंत्र का घर' कहा जाता है।

गणतंत्र [Republic] :-

वह शासन व्यवस्था जहाँ राष्ट्रप्रमुख का चुनाव किया जाता है गणतंत्र कहलाता है।

KD Job Updates

USA आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है।
भारत और USA गणतंत्र है परन्तु UK नहीं क्योंकि UK में क्राउन वंशानुगत है।

साम्यवादी शासन प्रणाली [communist ruling System]

इन देशों में समस्त शक्तियाँ साम्यवादी के हाथों में होती है .लोकतान्त्रिक चुनाव नही होते।
कम्युनिस्ट पार्टी की 'Polit bureau of Central Committee' ही सर्वेसर्वा होती है।
जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है।
वर्तमान में चीन, मंगोलिया, उत्तरकोरिया, वियतनाम और क्यूबा में ये शासन प्रणाली व्याप्त है।
1991 तक सोवियत संघ (USSR), पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया में भी यही व्यवस्था थी।

तानाशाही [Autocracy] :-

इस प्रकार की शासन प्रणाली में समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है।
अफ्रीकी देशों में यही प्रणाली प्रचलित है (द० अफ्रीका को छोड़कर)

KDJobUpdates

Page:

राष्ट्राध्यक्ष बनाम शासनाध्यक्ष

राष्ट्राध्यक्ष को औपचारिक रूप से संवैधानिक प्रमुख माना जाता है।
भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है।
शासनाध्यक्ष के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं।
प्रधानमंत्री भारत में शासनाध्यक्ष है।
USA में ये दोनों ही पद राष्ट्रपति के पास है।

संसदीय बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र

संसदीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियाँ एक समूह के हाथों में होती है जिसे मंत्रीपरिषद् कहते हैं।
भारत और ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र है।
अध्यक्षीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में होती है।
जैसे - अमेरिका का राष्ट्रपति।

राष्ट्र / देश / राज्य / प्रान्त / प्रदेश

•– राष्ट्र जन, भूमि और संस्कृति का समुच्चय है।
भारत सदियों से एक राष्ट्र रहा है परन्तु राष्ट्रीयता की भावना कम और अधिक होती रहती है।

•– देश एक भौगोलिक आभिव्यक्ति (संस्कृति) है।
जैसे - भारत देश के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र है।

•– राज्य - जन, भूमि और सम्प्रभु सरकार का समुच्चय है। USA, U.K., भारत राज्य है।

•– प्रान्त - राज्य की इकाईयां है।
U.P., बिहार आदि।

•– प्रदेश भूगोल की शब्दावली है।

KD Job Updates

Date:
Page:

सम्प्रभुता [Sovereignty] :-

जब कोई राज्य अपनी आंतरिक नीतियों के निर्माण में पूर्ण स्वतंत्र हो तथा उस पर कोई बाह्री दबाव न हो तो उसे सम्प्रभु कहा जाता है।
ईराक और अफगानिस्तान भले ही स्वतंत्र है परन्तु पूर्णतयः सम्प्रभु नही है।

पुलिस राज्य / नियामकीय राज्य :-

इस प्रकार का राज्य मात्र कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ही सीमित रहता है।
सर्वाधिक जोर कानूनों के पालन पर होता है।
ब्रिटिश राज्य एक पुलिस राज्य ही था।

लोककल्याणकारी राज्य [Welfare state] :-

लोककल्याणकारी राज्य कानून व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों का दायित्व भी सरकार के पास होता है।
यह अवधारणा U.S.A. के राष्ट्रपति [Franklin d roosevelt] द्वारा दी गई। [1933-45]

भारतीय, मौर्यकाल से ही इस अवधारणा से प्रचलित है।

KD Job Updates

:- संविधान [Constitution]

संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है
समस्त कानून संविधान के ही अनुरूप होते हैं।
संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तथा यह जनअपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
कानून (विधि) का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है।
समस्त नियम, कानून के अनुरूप ही होते हैं।
पाश्चिमी देशों ने नियमों, कानूनों को परम्परा के रूप में अपना लिया है।

लिखित और अलिखित संविधान :-

KD Job Updates manthan

लिखित संविधान जन-प्रतिनिधियों द्वारा एक ही समय में तैयार किया जाता है।
USA ने विश्व का पहला लिखित संविधान बनाया।
भारत का भी संविधान लिखित संविधान है।
ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। जिसका निर्माण भिन्न-भिन्न कालखण्ड में Convention के द्वारा हुआ।

कठोर और लचीला संविधान :-

कठोर संविधान में सरलता से संसोधन नहीं किया जा सकता।
USA का संविधान कठोर संविधान है।
लचीले संविधान में सरलता से संशोधन किये जा सकते हैं।
ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है।
भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है।

Date:
Page:

कठोर और लचीला राज्य :–

कठोर राज्य में कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाता है। जैसे - सिंगापुर
लचीले राज्य में प्रायः कानून की अवहेलना की जाती है वास्तव में कानून का निर्माण लचीलेपन के साथ परन्तु उसका पालन सख्ती से कराया जाये।

संघात्मक और एकात्मक राज्य :–

संघात्मक राज्य में दो प्रकार की सरकारें होती हैं -
(i) केन्द्र सरकार (ii) राज्य सरकार

जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में मात्र एक ही सरकार का अस्तित्व होता है।
USA विश्व का पहला संघ है।
भारत , दक्षिण अफ्रीका ,कनाडा भी संघ है।
यूरोपीय देश एकात्मक शासन प्रणाली के उदाहरण है
– ब्रिटेन , फ्रांस

भारतीय शासन प्रणाली को ब्रिटिश विरासत :–

भारतीय शासन एवं प्रशासन पर ब्रिटिश विरासत का गहरा प्रभाव है।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ।
गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् की नियुक्ति की गई।
4 चार्टर एक्ट लागू किये गये -
1793
1813
1833
1853

KD Job Updates
manthan

- 1793 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के विरुद्ध वीटो प्रदान कर दिया गया।
- 1833 में के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को परिषद में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। जिसका कार्य कानून बनाने के लिए सलाह देना है।
- 1853 में इसे परिषद में स्थाई रूप से शामिल कर दिया गया।

ब्रिटिश शासनकाल में 3 Indian Council Act लागू किये गये -

1861
1892
1909

manthan
KD Job Updates

- 1861 के Indian Council Act के तहत Legislative Council का गठन हुआ। जिसमें 6-12 सदस्य थे। इनका कार्य विधि निर्माण पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सलाह देना था।

- 1892 के Indian Council Act में Legislative Council के सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई। कुछ सदस्य जमींदारों, मर्चेंट चेम्बर, विश्व विद्यालय की सीनेट और स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते थे। इन्हे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसे ही भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहा जाता है।

- 1909 के Council Act के तहत Legislative Council को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिम समुदाय को 6 सीटें प्रदान कर दी गई।
यहाँ मतदाता और उम्मीदवार दोनों ही ~~मुसलमान~~ मुस्लिम होते थे।
Executive Council में एक भारतीय की भी नियुक्ति की गई। - लार्ड सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा

- 1919 के Government of India Act में प्रान्तों में दोहरे शासन का प्रावधान था।

इसके तहत कुछ भारतीयों को भी मंत्रीपद प्रदान किया गया।

- 1935 के 'भारत शासन अधिनियम' में 8 अनुसूचियां तथा 321 धाराऐं थी।
यह अंग्रेजों द्वारा लागू सबसे बड़ा कानून था।
इसके 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में यथावत् स्वीकार कर लिये गए।

सर्वोच्च न्यायालय, CAG, आपातकाल जैसे प्रावधान इसी अधिनियम की देन है।
26 Jan. 1950 तक यही कानून भारत पर लागू रहा।

1860 में Indian Penal Code तैयार किया गया जिसे 1862 में लागू कर दिया गया।

Criminal Procedure code भी ब्रिटिश शासनकाल में तैयार किया गया।
1973 में इसे संशोधित किया गया।

1908 में Civil Procedure code लागू किया गया।

KD Job Updates

1861 में Polic Act तथा 1878 में Arms Act लागू किया गया।

1787 में कार्नवालिस ने ICS कलेक्टर पद का सृजन किया।
कालान्तर में यह ब्रिटिश शासन की रीढ़ बन गई।

ICS अधिकारी ही इस पद पर नियुक्त किये जाते थे।

1853 में मैकाले ने कलेक्टर पद का सृजन किया
शासन के सभी महत्वपूर्ण पद इन्हे ही दिये जातेथे।

वर्तमान में ICS का स्थान IAS ने ले लिया।
कार्नवालिस ने ही थानों और पुलिस अधीक्षकों का पद सृजित किया।
जिला अदालतें भी उसी ने गठित किया।
परन्तु आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र, गणतंत्र और सम्प्रभुता को अपना लिया है।
कानूनो में सुधार के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता था।
प्रशासनिक सुधार के लिए दो प्रशासनिक आयोग का गठन भी किया गया।
समय-समय पर होने वाले चुनावों में ने सरकार को जनोन्मुखी बनाया है।
परन्तु नौकरशाही उन सत्ताधारी की ही आज्ञा का पालन करती है जो उस पर नियंत्रण करते हैं।
आम जनता के प्रति इसका रुख अहम्-यतावादी है।

YD Job Updates

manthan

भारतीय संविधान का निर्माण :-

सर्वप्रथम 1895 में बालगंगाधर तिलक ने भारतीयों के लिए संविधान की माँग की।
1922 में महात्मा गांधी ने इस माँग को दोहराया।
1924 में मोतीलाल नेहरू तथा 1934 में M.N. राव व J.L. नेहरू ने इस माँग को दोहराया।
एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने संविधान की मांग की।
1936 में कांग्रेस ने इसे दोहराया।

नेहरू कमेटी :- यह एक सर्वदलीय समिति थी। जिसने 90 दिन में कामचलाऊ संविधान तैयार किया था।
मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे।
J. L. नेहरू इसके सचिव थे।
इसके अन्य सदस्य थे :-
- सुभाष चन्द्र बोस
- तेज बहादुर सप्रू
- अली ईमाम
- शोएब कुरैशी
- M.R. जैकर
- सरदार मंगल सिंह
- N.M. जोशी
- G.R. प्रधान

नेहरू समिति की प्रमुख सिफारिशे थी :-
- dominion status
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- स्त्री-पुरुष समानता
- भाषायी आधार पर प्रांतों का निर्माण।

KD Job Updates

1942 में भारत आये क्रिप्स मिशन ने यह स्वीकार किया कि भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे।

कैबिनेट मिशन [1946] :-

इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे :- पैट्रिक लारेंस (अध्यक्ष)
:- स्टेफर्ड क्रिप्स
:- A.B. एक्वेक्जेंडर

भारतीय संविधान सभा का गठन इसी मिशन के आधार पर हुआ।
प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि मनोनीत किया गया।
इस प्रकार कुल 389 प्रतिनिधियों का मनोनयन हुआ
292 सदस्य 11 प्रांतों की विधानसभाओं से चुने गये।
93 सदस्यों को 562 रियासतों द्वारा मनोनीत किया गया।
4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से मनोनीत किये गये।

प्रान्तीय विधानसभाओं द्वारा चुने गये सदस्यों में 211 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग के थे।
अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की।
भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये।
U.P. और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी।
संविधान सभा के कुछ गैर कांग्रेसी सदस्य थे -
:- B.R. अम्बेडकर
:- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
:- गोपाला स्वामी आयंगर
:- कृष्णा स्वामी अय्यर

KD Job Updates

Date:
Page:

प्रान्तों में सर्वाधिक 54 प्रतिनिधि संयुक्त प्रान्त (U.P.) से चुने गये।
रियासतों में सर्वाधिक 7 प्रतिनिधि - मैसूर से चुने गये।
हैदराबाद का कोई प्रतिनिधि नहीं था।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 dec. 1946 को हुई।
आखिरी बैठक 24 Jan. 1950 को हुई।
संविधान का निर्माण 26 Nov. 1949 को पूर्ण हुआ।
इस प्रकार संविधान निर्माण 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में पूर्ण हुआ।
संविधान निर्माण में 64 लाख ₹ खर्च हुए।
समस्त बैठकें संसद के केन्द्रीय कक्ष में हुई।
संविधान निर्माण के लिए 11 सत्र और 165 बैठकों का आयोजन हुआ।
12 वां सत्र 24 Jan. 1950 को हुआ। जिसमें मात्र सदस्यों के हस्ताक्षर किये गए।

संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया।
11 dec. 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
हीरेन मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष तथा B.N. राव को वैधानिक सलाहकार चुना गया।
13 dec. 1946 को J.L. नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पढ़ा कालांतर में यही प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया।
संविधान सभा के पहले अधिकृत वक्ता डॉ. राधाकृष्णन थे।
संविधान सभा निर्माण के लिए 18 समितियों का गठन किया गया।

KD Job Updates

समिति ~~~~~~ अध्यक्ष

प्रारूप समिति ~~~~~ B. R. अम्बेडकर

मूल अधिकार समिति ~~~ आचार्य J. B. कृपलानी

झण्डा समिति ~~~~~~ ,,

संघ संविधान समिति ~~~~ J. L. नेहरू

प्रांत संविधान समिति ~~~~ सरदार पटेल

अल्पसंख्यक समिति ~~~~ हीरेन मुखर्जी

प्रारूप समिति :-

इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया।
Dr. B. R. Ambedkar इसके अध्यक्ष थे।
इसके अन्य सदस्य हैं :- गोपाल स्वामी आयंगर
:- अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर
:- K.M. मुंशी
:- B.L. मित्रा
:- D.P. खेतान
:- मुहम्मद शाहदुल्ला

D.P. खेतान की मृत्यु के बाद T.P. कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया।
B.L. मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया। N. माधवराव ने उनका स्थान ले लिया।
प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का प्रयोग भारतीय संविधान के निर्माण में किया।

KD Job Updates

आंशिक रूप से संविधान 26 NOV. 1949 को लागू किया गया।
इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किये गए। —

Art - 5/6/7/8/9/60/324/366/367/380
388/391/392/393/394

पूर्ण रूप से संविधान 26 Jan. 1950 को लागू किया गया।
दरअसल 26 जनवरी, 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
अतः इसी तिथि को संविधान निर्माण के लिए चुना गया
संविधान की मूल पुस्तक में नंदलाल बोस द्वारा बनाये गये चित्र हैं।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचिया हैं।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचिया थी।
कालांतर में 78 अनुच्छेद शामिल किये गए।
14 अनुच्छेद निकाल दिये गए।
परन्तु अंतिम क्रम 395 ही है।

मूल संविधान में 22 भाग थे। 3 भाग कालांतर में और जोड़े गए (22+3)

भारतीय संविधान पर दो आक्षेप लगाये जाते हैं।

① यह सम्प्रभू नहीं है :— आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ।
भारतीय संविधान का 1/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
अतः भारतीय संविधान सम्प्रभू नहीं है।

KD Job Updates

खण्डन - संविधान सभा का निर्माण भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा हुआ। जो अपने युग के सबसे लोकप्रिय भारतीय थे।
संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद व्यापक सहमति और मतदान से ही शामिल किया गया है।
प्रत्येक अनुच्छेद के लिए 3 वाचन सम्पन्न कराये गये।

(2) भारतीय संविधान उधार का थैला है :-

खण्डन - भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो भी प्रावधान ग्रहण किये गए हैं।
वे भारतीय परिस्थितियों की माँग के अनुरूप शामिल किये गए हैं।
संविधान निर्माताओं का उद्देश्य मौलिक संविधान को बनाने के स्थान पर एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था।

भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिये गए प्रावधान-

प्रावधान	देश
संसदीय लोकतंत्र	U.K.
संघीय व्यवस्था	कनाडा
गणतंत्र (Republic)	फ्रांस
संविधान की सर्वोच्चता	USA
सर्वोच्च न्यायालय	,,

KD Job Updates

Date:
Page:

मूल अधिकार ~~~~ USA

मूल कर्तव्य ~~~~ भूतपूर्व सोवियत संघ

उपराष्ट्रपति ~~~~ USA

नीति निर्देशक तत्व ~~~~ आयरलैण्ड

संविधान संसोधन प्रक्रिया ~~~~ दक्षिण अफ्रीका

विषयों का बटवारा ~~~~ आस्ट्रेलिया
समवर्ती सूची ~~~~ ,,

न्यायिक पुनर्विलोकन ~~~~ USA

एकल नागरिकता ~~~~ ब्रिटेन

आपातकाल ~~~~ जर्मनी का वाइमर संविधान
1935 का भारत शासन अधिनियम

प्रस्तावना की भाषा ~~~~ आस्ट्रेलिया

राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ~~~~ आयरलैण्ड

.– भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है।।

KD Job Updates

Date:
Page:

प्रस्तावना [Preamble] :-

महत्व - संविधानविद् प्रस्तावना को 'संविधान की आत्मा' मानते हैं।

प्रस्तावना 'संविधान की नींव' है।

प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की व्याख्या की जाती है।

दो अनुच्छेदों में टकराव की स्थिति में प्रस्तावना से ही दिशा निर्देश प्राप्त किया जाता है।

प्रस्तावना, संविधान के बुनियादी लक्षणों पर प्रकाश डालता है।

लोककल्याणकारी राज्य के लक्षण प्रस्तावना द्वारा ही व्यक्त किये जाते हैं।

प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

व्याख्या -

'हम भारत के लोग' :- संविधान भारत की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है तथा समस्त शक्तियाँ एक ईकाई के रूप मे भारतीयों में निहित है।

'अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं' :-

ये शब्द संविधान की सम्प्रभुता के परिचायक है। संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया गया। इसे सर्वोच्च कानून का दर्जा दिया गया तथा यह भारतीयों को ही समर्पित है।

KD Job Updates

प्रस्तावना में भारतीय शासन प्रणाली के लक्षण :-

प्रस्तावना में शासन प्रणाली के निम्न लक्षण बताये गए हैं-
(i) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
(ii) समाजवादी
(iii) पंथनिरपेक्ष
(iv) लोकतन्त्रात्मक
(v) गणराज्य

(i) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न - आंतरिक नीतियों में बाहरी दखल न होना ही प्रभुसत्ता है यह स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है।

(ii) समाजवादी - 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल।
भारत में समाजवाद के दो अर्थ है -
(a) शोषण को समाप्त करना।
(b) अमीर - गरीब के अंतर को समाप्त करना।

(iii) पंथ निरपेक्ष - 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल।
42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया यह एक यूरोपिय शब्दावली है।
यूरोप में प्रजा को राजा का
परन्तु भारत में पारम्परिक रूप से ही सर्वधर्मसमभाव का वातावरण रहा है।
संविधान के **अनु - (25)** तथा प्रस्तावना में भी यही भावना है।
पंथनिरपेक्षता से आशय है - सभी को धर्म पालन की स्वतंत्रता होगी तथा धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

KD Job Updates

Date
Page

(iv) लोकतंत्रात्मक :- भारत, ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है।

(v) गणराज्य :- भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है।

प्रस्तावना में लोककल्याणकारी राज्य के लक्षण :-

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
- अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
- प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
- व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखने वाला बंधुत्व (और अखण्डता शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया।)

एकता नागरिकों के मध्य होती है अखण्डता भू-भाग से सम्बंधित होती है।

भारतीय संविधान 26 Nov. 1949 (विक्रमी संवत् २००६ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी) को अंगीकृत किया गया।

KD Job Updates

Date:
Page:

भाग -1 [संघ और उसका राज्य क्षेत्र] Art-[1-4]

अनुच्छेद -1 [Art- 1]

India, That is भारत, राज्यों का एक संघ होगा।
भारत में Federation के स्थान पर Union का प्रयोग किया गया है।
Union एकताबोधक है अतः किसी भी भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है।

Art- [3] राज्य निर्माण प्रक्रिया

भारत में किसी नये राज्य का निर्माण अथवा उसके सीमा, क्षेत्रफल एवं नाम में परिवर्तन का अनन्य अधिकार संसद को है। [जबकि USA में राज्य की अनुमति के बिना ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता]
संसद राज्य निर्माण के लिए सम्बंधित राज्य की राय भी लेती है। परन्तु वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
राज्य निर्माण विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करती है।
राज्य निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।
1947-56 के मध्य राज्यों की कुल 4 श्रेणियां थी।-

श्रेणी A - में ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे (U.P., बिहार आदि)
B - बड़ी रियासते थी (J&K, हैदराबाद)
C - छोटी रियासतों के समूह थे।
D - अण्डमान निकोबार द्वीप समूह थे।

1953 में श्री रामालु की अनशन से मृत्यु के बाद आन्ध्र प्रदेश का निर्माण किया गया।
भाषायी आधार पर बना यह पहला राज्य था।

KD Job Updates

राज्य पुर्नगठन आयोग [1953-55] :-

फजल अली इसके अध्यक्ष थे।
हृदयनाथ कुंजरू और K.M. पाणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे।
इसी आयोग ने भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की।
1 Nov. 1956 को 14 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आये।

भाग -[2] नागरिकता [Citizenship]
Art - [5-11]

लोकतांत्रिक देशों में निवासियों के लिए नागरिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जबकि राजशाही में प्रजा शब्द का प्रयोग किया जाता है।
भारत में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है।
इसी आधार पर 1955 में नागरिकता कानून पारित किया गया।
भारत में सभी नागरिकों का स्तर समान है।
जबकि धर्मतान्त्रिक देशों में विधर्मियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है।
भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है।
यहाँ USA की तरह राज्यों की नागरिकता का कोई प्रावधान नही है।
यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

KD Job Updates

Indian Diaspora

भारत से बाहर निवास करने वाले भारतीयों को Indian diaspora कहा जाता है। इसके अन्तर्गत 2.5 करोड़ भारतीय आते हैं। जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है –

[i] N.R.I. [Non Resident Indians]
[ii] P.I.O. [Person of the Indian Origin]

[i] **N.R.I.** अभी भी भारतीय नागरिक हैं। परन्तु रोजगार के लिए अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं।

Indian diaspora का 70% भाग N.R.I. है।
N.R.I. की सर्वाधिक संख्या U.S.A में है।

[ii] **P.I.O.** भारतीय मूल के वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक थे

Indian diaspora का 30% P.I.O. है।
P.I.O. की सबसे बड़ी संख्या म्यांमार में है।

- Indian diaspora के लिए 9 Jan. 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस प्रारम्भ किया गया।

- भारतीय नागरिकता 6 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है :–
  - जन्म से
  - वंशक्रम से
  - पंजीकरण द्वारा
  - देशीयकरण द्वारा
  - विलय द्वारा
  - पुर्नप्राप्ति द्वारा

KD Job Updates

[i] **जन्म से :-** वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 Jan. 1950 या इसके बाद भारत भूमि पर हुआ है तथा उसके माता-पिता भी भारतीय है, को जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है।
इस प्रकार की नागरिकता किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं की जा सकती।
अधिकांशतः भारतीय इसी श्रेणी में आते हैं।
यदि कोई भारत का नागरिक नहीं है तो foreigners Act-1940 के तहत इसकी पहचान की जाती है।

[ii] **वंशक्रम से :-** वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है परन्तु उसके माता-पिता भारत के नागरिक है, को वंशक्रम से भारत का नागरिक माना जाता है।
इस प्रकार के जन्म की तत्काल सूचना दूतावास को दी जाती है।

[iii] **पंजीकरण द्वारा :-** राष्ट्रमण्डल देशों के भारतीय मूल के लोगों को इसी श्रेणी के तहत भारत की नागरिकता दी जाती है।
यदि किसी ने किसी भारतीय से विवाह कर लिया तो उसे भी इसी श्रेणी की नागरिकता दी जाती है।

[iv] **देशीयकरण द्वारा :-** शेष विश्व के नागरिकों को कुछ मानकों को पूरा करने के बाद इस श्रेणी में भारत की नागरिकता दी जाती है। –

(i) विगत कुछ वर्षों से भारत में निवास।
(ii) आठवीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान।

* विशिष्ट व्यक्तियों के लिए इन मानकों में ढील दी जा सकती है।

KD Job Updates

than 20 coun...

[v] **विलय द्वारा :-** इस प्रकार की नागरिकता उन लोगों को प्रदान की जाती है जो उस भू-भाग के निवासी है जिसका भारत में विलय कर लिया हो। जैसे – दादरा नगर हवेली, गोवा, दमनदीव, पुडुचेरी, सीक्किम।

[vi] **पुर्नप्राप्ति द्वारा :-** यदि कोई व्याक्ति उपरोक्त किसी भी प्रकार की नागरिकता का त्याग करता है तो उसे पुनः नागरिकता इसी श्रेणी में दी जाती है।

KD Job Updates

Date:
Page:

राष्ट्रीय चिन्ह

राष्ट्रध्वज - तिरंगा

राष्ट्रध्वज 22 July 1947 को स्वीकार किया गया।
1907 में सर्वप्रथम मैडम भीखाजी कामा ने स्टुटगार्ड (जर्मनी) में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया।
जिसमें 3 रंग थे - लाल, पीला, हरा
+ तारे सप्तऋषियों के प्रतीक थे।

1931 में ~~पी~~ वेंकैया ने सबसे पहले तिरंगे का निर्माण किया।
गाँधी जी की सलाह पर इसमें एक चरखा शामिल किया गया।
झण्डा समिति ने चरखे के स्थान पर चक्र को शामिल किया।
तिरंगे में समान चौड़ाई की तीन पट्टियाँ होती हैं।
- केसरिया, सफेद, हरी
केसरिया - त्याग, सफेद - शान्ति तथा हरा रंग समृद्धि का परिचायक है।
सफेद पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां है।
चक्र सतत प्रगति का प्रतीक है।
3:2 के अनुपात में बनाया जाता है तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर ही फहराया जाता है।
नवीन जिंदल की याचिका के आधार पर आम जनता को भी राष्ट्रध्वज प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई।

KD Job Updates

Date:
Page:

राजकीय चिन्ह -

26 Jan. 1950 को इसे स्वीकार किया गया।
सारनाथ के 'अशोक स्तम्भ के शीर्ष से लिया गया है
इसमें तीन शेर दृष्टिगोचर होते है।
जिसके नीचे एक पट्टी पर घोड़ा और बैल अंकित होता है।
वास्तव में इस पट्टी में जानवरों का क्रम इस प्रकार है-
घोड़ा , शेर , हाथी , बैल

सत्यमेव जयते मुण्डको उपनिषद से लिया गया है।
मंत्रियों द्वारा **नीले** रंग का
राज्यसभा सदस्य **लाल** रंग का
लोकसभा सदस्य **हरे** रंग का राजचिन्ह प्रयोग करते हैं।

राष्ट्रगान बनाम राष्ट्रगीत -

'जन-गण-मन' रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचा गया।
जो बांग्लादेश के राष्ट्रगान के भी रचयिता है।
24 Jan. 1950 को अपनाया गया।
बंगला मिश्रित हिन्दी है।
सेना द्वारा इसकी धुन तैयार की गई।
गायन अवधि - 52 से०
संक्षिप्त संस्करण की गायन अवधि - 20 से०
27 dec. 1911 को कलकत्ता कांग्रेस में स्वयं रवीन्द्र नाथ टैगोर ने इसे गाया।

राष्ट्रीय गीत - 'वन्दे मातरम'
24 Jan. 1950 को अपनाया गया।
इसका दर्जा राष्ट्रगान के समतुल्य है।

KD Job Updates

रचयिता - बंकिम चन्द्र चटर्जी
गायन अवधि - 65 से.
पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है।
यह मूलतः संस्कृत में है।
मूलगीत का पहला पैराग्राफ ही राष्ट्रीय गीत है।
वन्दे मातरम् 1876 से लिखा गया
1882 में यह आनंदमठ का भाग बन गया।
1896 में कलकत्ता कांग्रेस में बंकिम चन्द्र चटर्जी ने स्वयं गाया।
बंग - भंग (1905) के दौरान यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ।
प्रारम्भ में इसकी धुन B.D. [illegible] ने तैयार की थी।
यह राष्ट्रीय आन्दोलन का सबसे चार्चित गीत था।
परन्तु अंग्रेजों ने शाजिस कर इसे विवादित बना दिया।

राष्ट्रीय पंचांग :-

22 march, 1957 को शक संवत और ग्रिगोरियन कैलेण्डर अपनाया गया।
शक संवत 78 ई. में कनिष्क द्वारा चलाया गया।
परन्तु इसका सर्वाधिक प्रयोग शकों द्वारा किया गया।
प्रत्येक वर्ष 22 march को यह प्रारम्भ होता है।
इसका प्रयोग मात्र सरकारी कार्यकलापों और गजट में किया जाता है।
ग्रिगोरियन कैलेण्डर को अंग्रेजी कैलेण्डर या अन्तर्राष्ट्रीय कैलेण्डर भी कहते हैं।
यह ईसामसीह के जन्म के साथ प्रारम्भ हुआ।
16 शताब्दी में पोप ग्रिगोरी ने इसे वर्तमान रूप दिया।
यह सूर्य की गति पर आधारित है।

KD Job Updates

Date:
Page:

राष्ट्रीय पशु - 'बाघ' [Panthera Tigris Linnaeus]

1972 से बाघ राष्ट्रीय पशु है।
इसके पूर्व शेर राष्ट्रीय पशु था।
1970 से ही शेर और बाघ को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।

राष्ट्रीय पक्षी - 'मोर' [Pavo Cristatus Linnaeus]

1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।

राष्ट्रीय पुष्प - कमल [Nelumbo Nucifera]

राष्ट्रीय वृक्ष - बरगद [Ficus Bengalensis]

राष्ट्रीय फल - आम [Mangifera Indica]

राष्ट्रीय नदी - गंगा

राष्ट्रीय जलीय जन्तु - सुईस [Platanista Gangetica]
[2009 से]

राष्ट्रीय धरोहर पशु - हाथी [2010 से]

1971 में Prevention of Insult to National honour Act लागू किया गया।
2003 में इसमें संशोधन किया गया।
इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान दण्डनीय अपराध है।

KD Job Updates